संख्याः 2316/XXIV-3/08/02(137)2005.

प्रेषक,

डा0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 16 जनवरी, 2009.

विषयः– राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय, गंगोलीहाट, पिथौरागढ के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 5ख1/38892/रा0गां0न0वि0/2008–09; दिनांकः 18 दिसंबर, 2008 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्याः 112/माध्यनिक/2004; दिनांकः 28.03.04 एवं शासनादेश संख्याः 78/XXIV-3/08/02(137)2005; दिनांकः 25 जनवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह अवगत कराना है कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, पिथौरागढ के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 1163.32 लाख आंकलित की गई है। प्रश्नगत आगणन के प्रथम चरण में रू0 388.81 लाख का व्यय निहित है, जिसमें 08 कक्षा–कक्ष, प्रशासनिक ब्लाक, प्रयोगशाला, डॉरमेट्री, कर्मचारी चिकित्सा कक्ष, प्रशासनिक खण्ड एवं प्रधानाचार्य एवं तृतीय/चतुर्थ श्रेणी आवासों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रथम चरण की अनुमोदित लागत रू0 388.81 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 290.00 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 98.81 लाख (रुपये अठानबे लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 657/XXIV-3/08/02 (37)2008; दिनांकः 16 अप्रैल, 2008 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

प्रतिबन्धः– प्रधानाचार्य आवास को छोड़कर अन्य आवासों का निर्माण अभी प्रारम्भ नही किया जायेगा और प्रथम चरण के अन्त इसे रखा जायेगा। द्वितीय तथा तृतीय चरण में समूह "ख" तथा "ग" के आवास निर्मित करने की आवश्यकता न होने के कारण इन्हे आगणन से हटाकर प्रस्तुत किया जायेगा। स्वीमिंग पूल का आगणन भी रू0 1.00 करोड़ से अधिक है तथा इसके अनुरक्षण में भी काफी व्यय होता है। अतः स्वीमिंग पूल को भी आगणन से हटा दिया जाय।

2– प्रश्नगत स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धो के अधीन है:–

(1)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

क्रमशः.....2

(2)– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाये।

(5)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मद्दे नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखतें हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(6)– कार्य करानें से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च–अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।

(9)– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐंजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय। किसी भी दशा में आगणनों को पुनरीक्षित नही किया जायेगा।

(10)– निर्माण कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 15 तारीख तक निर्माण संस्था द्वारा विभागाध्यक्ष/संस्था को उपलब्ध करायें जायेंगें।

(11)– विभाग निर्माण कार्य की गुणवत्ता/प्रगति की चेकिंग की कार्यो की व्यवस्था थर्ड पार्टी से करायेंगे तथा इसका व्यय सेन्टेज चार्जेज में निहित धनराशि से वहन करना होगा।

3.– निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए कार्यदायी संस्था के संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगें।

4.– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या: 11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा– 202–माध्यमिक शिक्षा–00–आयोजनागत–16–राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा.

क्रमशः.....3

5.– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 616 (P)XXVII(3)08; दिनॉक: 07 जनवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव।

संख्या: 2316(1)/XXIV-3/08/02(137)05; तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी.।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी.।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल– नैनीताल।
6– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल– नैनीताल।
7– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8– जिलाधिकारी, पिथौरागढ।
9– कोषाधिकारी, पिथौरागढ।
10– जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ।
11– संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
12– वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
14– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।